

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 मई 2021 — वैशाख 16, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2019/1-7. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-05-2019 द्वारा दिनांक 09-04-2019 को जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत श्यामगिरी मार्ग के मध्य क्रिकेट ग्राउण्ड के पास नक्सलियों द्वारा किये गये बारुदी सुरंग विस्फोट से माननीय विधायक श्री भीमा मंडावी तथा अन्य चार सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की घटना की जांच हेतु जस्टिस श्री सतीश के. अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति, सिविकम उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. निर्धारित समयावधि में आयोग का जांच कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण समय-समय पर शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की जाती रही है. इसी अनुक्रम में अधिसूचना दिनांक 05-11-2020 द्वारा आयोग के कार्यकाल में 06 माह की वृद्धि की गई है, जिसकी समयावधि दिनांक 07-05-2021 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि वर्तमान में कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के कारण जांच आयोग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 08-05-2021 से दिनांक 07-08-2021 तक 03 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.